CWJC No.3128/2018 राम प्रताप राय एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–12.03.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में सकारण आदेश।

CWJC No.3128/2018 राम प्रताप राय एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–12.03.2018 को किया गया है। उक्त न्यायादेश में याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के अन्दर अपना अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या–4 के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है साथ ही प्रतिवादी संख्या–4 को निदेश है कि समादेश याचिका संख्या–20654/2010 राजनारायण एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–11.02.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करते हुए चार सप्ताह के अन्दर एक मुखर एवं सकारण आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है।

ज्ञातव्य है कि समादेश याचिका संख्या–20654/2010 राजनारायण एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य तथा एक अन्य समादेश याचिका संख्या–10901/2006 मो0 क्यामुद्दीन एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित न्यायादेश के आलोक में दायर की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा संबंधित विज्ञापन नई पेंशन योजना के लागू होने के पूर्व होने के कारण पुरानी पेंशन योजना से याचिकाकर्ताओं को आच्छादित किये जाने का आदेश पारित किया गया था। ध्यातव्य है कि दिनांक–31.08.2005 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मियों को नई पेंशन योजना के अन्तर्गत रखा गया है।

2. उल्लेखनीय है, कि CWJC No.20654/2010 राजनारायण एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य निम्नांकित बिन्दुओं की मांग हेतु दायर किया गया थाः–

(i) दिनांक–19.02.2002 के प्रभाव से यक्ष्मा सेवकों एवं दिनांक–27.02.2002 से चतुर्थवर्गीय कर्मियों की नियुक्ति तिथि का निर्धारण।

(ii) मेघा सूची के अनुसार वैचारिक लाभ देते हुए वरीयता का निर्धारण।

(iii) CPF के बदले पुरानी पेंशन योजना (GPF) का लाभ।

(iv) दिनांक–19.02.2002 के प्रभाव से यक्ष्मा सेवक तथा दिनांक–27.02.2002 के प्रभाव से चतुर्थवर्गीय कर्मियों के वेतन का निर्धारण एवं

(v) नियुक्ति की तिथि दिनांक–26.11.2005 से सभी वित्तीय लाभ उपलब्ध कराना।

3 समादेश याचिका संख्या–3128/2018 में दिनांक–12.03.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में उक्त वाद के याचिकाकर्ताओं श्री राम प्रताप राय, श्रीमती किरण कुमारी तथा श्रीमती सुमित्रा देवी ने अपना अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या–4 के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसकी समीक्षा की गई। समादेश याचिका संख्या–3128/2018 के याचिकाकर्ताओं श्री राम प्रताप राय एवं कुमारी किरण की नियुक्ति निदेशालय के पत्रांक–1175(11), दिनांक–26.11.2005 के द्वारा की गई है, जबकि उक्त वाद के एक अन्य याचिकाकर्ता श्रीमती सुमित्रा देवी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन से प्रतीत होता है कि उनके पति स्व0 राम बहादुर राय

4661(11)
04-6-18

की नियुक्ति निदेशालय के पत्रांक–1175(11), दिनांक 26.11.2005 के द्वारा की गई है। याचिका के अवलोकन से प्रतीत होता है कि स्व0 राम बहादुर राय की मृत्यु दिनांक 17.11.2012 को हो चुकी है, अर्थात् उनकी सेवा लगभग सात वर्ष की ही होती है। बिहार पेंशन नियमावली 1950 के तहत् पेंशन प्रदायी हेतु दस वर्ष की सेवा अनिवार्य है। अतः श्रीमती सुमित्रा देवी के द्वारा उनके स्व० पति के संबंध में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने का मांग तर्कसंगत नही है।

उल्लेखनीय है कि समादेश याचिका संख्या–20654/2010 के मुख्य याचिकाकर्ता श्री राजनारायण की नियुक्ति निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ के ज्ञापांक–1176(11), दिनांक–26.11.2005 के आलोक में की गई थी। उक्त समादेश याचिका संख्या–20654/2010 में दिनांक–11.02.2016 को पारित न्यायादेश एक अन्य समादेश याचिका संख्या–10901/2006 मो० क्यामुद्दीन एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आधार पर ही पारित किया गया है। उक्त न्यायादेश में कहा गया है कि विज्ञापन पूर्व का होने के कारण एवं नियुक्ति में विलम्ब विभाग की ओर से किये जाने के कारण याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन योजना का लाभ एवं अन्य वैचारिक लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। उक्त न्यायादेश के अनुपालन हेतु पुरानी पेंशन योजना की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार वित्त विभाग के होने के कारण वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त की गई एवं उक्त समादेश याचिका के याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन योजना की लाभ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

5. समादेश याचिका संख्या–3128/2018 के याचिकाकर्ताओं का मामला समादेश याचिका संख्या–20654/2010 के याचिकाकर्ताओं के समरूप होने के कारण वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जायेगी। पुरानी पेंशन योजना की मांग हेतु दायर कतिपय अन्य वादों में पारित न्यायादेश के आलोक में वित्त विभागीय परामर्श के पश्चात् मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की गई है।

अतएव **समादेश याचिका संख्या–3128/2018** के याचिकाकर्ताओं श्री रामप्रताप राय एवं श्रीमती किरण कुमारी को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु संलेख प्रारूप वित्त विभाग को अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित करने का आदेश दिया जाता है जबकि एक अन्य याचिकाकर्ता श्रीमती सुमित्रा देवी के उक्त मांग को अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
(डा० आर० डी० रंजन),
निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–11/टी०बी०(कोर्ट)–03/2018– 466 (11) **पटना, दिनांक**– 04/06/2018

प्रतिलिपि :–संबंधित सभी कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

01/6/18
निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण),
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।